[15/7/2019]

प्रश्न सं. [क्र. 543]

मध्य प्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक 6112 /22/वि-9/एमडीएम/2019 भोपाल, दिनांक 24/6/2019

प्रति,

सचिव

म.प्र.विधानसभा सचिवालय,

भोपाल

विषय: विधानसभा तारांकित प्रश्न कमांक 543 द्वारा श्री गिर्राज डण्डौतिया (सत्र जून, 2019) के प्रश्न में संशोधन के संबंध मे।।

-00-

विषयांतर्गत विधानसभा तारांकित प्रश्न कमांक 543 द्वारा श्री गिर्राज डण्डौतिया (सत्र जून, 2019)जिला मुरैना के उत्तर देने की तिथि 04-07-2019 एवं सदन में उत्तर देने की तिथि 12-07-2019 नियत है। प्रश्नकर्ता माननीय विधायक द्वारा पुछे गए प्रश्न का स्वरूप विस्तृत होकर 04 वर्ष की जानकारी चाही गई है। जो कि वृहद स्वरूप व श्रम साध्य है। अत प्रश्न में निम्नानुसार संशोधन कराये जाने हेतु अनुरोध है:-

क्र	मूल प्रश्न	संशोधित प्रश्न
(क)	राज्य शिक्षा केन्द्र अम्बाह जिला मुरैना में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम संचालक हेतु कितने समूह/ संस्थायें संचालित है संस्था समूह का नाम अध्यक्ष नाम, पद, नियुक्ति दिनांक, नियुक्तिकर्ता अधिकारी का पदनाम, आदेश आदि सहित बतावें।	राज्य शिक्षा केन्द्र अम्बाह जिला मुरैना में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम संचालक हेतु कितने समूह/ संस्थायें संचालित है संस्था /समूह का नाम, अध्यक्ष का नाम, नियुक्तिकर्ता अधिकारी का पदनाम सहित बतावें।
(ख)	प्रश्नांश क के परिपेरक्ष्य में कितने समूह संस्था को संचालन हेतु नियमांतर्गत खाद सामग्री, चेक नगदी आदि दिया गया वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक की जानकारी दी जावें।	प्रश्नांश 'क' के परिपेरक्ष्य में समूह /संस्था को मध्यान्ह भोजन संचालन हेतु नियमांतर्गत खाद सामग्री एवं राशि प्रदाय की गई है। वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक की जानकारी वर्षवार दी जावें।

कृपया उपरोक्तानुसार संशोधन किया जाकर विभाग को सूचित करने का कष्ट करें।

उपसचिव 24/6/19

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ.क्र. 6113 /22/वि-9/एमडीएम/2019 भोपाल, दिनांक 24/6/2019

प्रतिलिपि: उपायुक्त, विधानसभा सेल, विकास आयुक्त कार्यालय, विंध्याचल भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

उपसचिव 24/6/19

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मध्यप्रदेश, भोपाल